

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर 1/2, चतुर्थ तल, पुलिस मुख्यालय, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226002

संख्या: पॉच-470(वरि0 पदो0)2022

दिनांक: मई 31, 2023

आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 यथा संशोधित में किये गये प्रावधानों के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित उप निरीक्षक नागरिक पुलिस को उनके वर्तमान नियुक्ति जनपद/इकाई पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, एवं यह आदेश दिनांक: 01-06-2023 से प्रभावी होगा :-

क्र० सं०	पीएनओ सं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति जनपद/इकाई	उपयुक्त का चयन वर्ष
1	982510522	अर्चना	श्री जगवीर सिंह	01.01.79	मुजफ्फरनगर	उपयुक्त 2022
2	980740369	अवध नाथ यादव	श्री फूलचन्द यादव	07-02-1978	जौनपुर	उपयुक्त 2022
3	880510604	संजय कुमार मौर्य	श्री कल्लूराम मौर्य	03.09.1969	कानपुर नगर	उपयुक्त 2022
4	96070037	उमा शंकर यादव	श्री रामराज यादव	10.06.1974	देवरिया	उपयुक्त 2022
5	980771206	सुशील कुमार	हरस्वरूप सिंह	01-09-1977	पीलीभीत	उपयुक्त 2022
6	982510841	नीरज कुमार शर्मा	श्री रामवीर शर्मा	02.06.79	बिजनौर	उपयुक्त 2022
7	960450206	रविशंकर पाण्डेय	श्री रघुनाथ पाण्डेय	06-03-1976	गाजियाबाद	उपयुक्त 2022
8	952413369	कमलेश कुमार पाल	द्वारिका प्रसाद पाल	10.06.1974	प्रतापगढ़	उपयुक्त 2022
9	962130119	महेन्द्र	रामनरेश	20-07-1976	सिद्धार्थनगर	उपयुक्त 2022
10	982650301	प्रमोद कुमार	श्री किशन सिंह	05.10.79	सम्मल	उपयुक्त 2022
11	982250279	विजय प्रताप सिंह	स्व० रामनाथ सिंह	20.04.1979	लखनऊ	उपयुक्त 2022
12	982690246	विद्यासागर पाण्डेय	श्रीराम पाण्डेय	01.04.1979	गोण्डा	उपयुक्त 2022
13	952450117	मोहम्मद शाकिर	फकीर मोहम्मद	01-07-1975	इटावा	उपयुक्त 2022
14	952331984	योगेन्द्र कुमार घामा	श्री महेन्द्र सिंह	02.01.75	हाथरस	उपयुक्त 2022
15	902650046	पवनवीर सिंह राणा	श्री सूरजमल राणा	20-07-1969	मुरादाबाद	उपयुक्त 2022
16	952650605	यशपाल सिंह	श्री महेन्द्र सिंह मलिक	07.01.1976	विशेष शाखा, बुलन्दशहर	उपयुक्त 2022

3- पदोन्नति प्राप्त उपनिरीक्षक अपने नियुक्ति स्थान जनपद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवानियमावली के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मी की वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये कार्मिक की नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक: 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियाँ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध विद्यमान न हों:-

- (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है।
- (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।
- (ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराकर सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6- यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा-पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मों को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है ।

संलग्नक- प्रारूप (क)

(सत्यार्थ अतिरुद्ध पंकज)
पुलिस अधीक्षक, स्थापना

निमित्त-अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना
उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2- पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद, लखनऊ एवं कानपुर।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, कानपुर एवं आगरा।
- 4- पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, बस्ती, मुरादाबाद, देवीपाटन, कानपुर, अलीगढ़ एवं मुरादाबाद।

- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर, जौनपुर, देवरिया, पीलीभीत, बिजनौर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, सम्भल, गोण्डा, इटावा, हाथरस एवं मुरादाबाद।
- 6- पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ०प्र० पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ को इस अनुरोध के साथ की वे कृपया प्रश्नगत आदेश को उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करे।

संख्या तथा दिनांक वही।

मूलपर नहीं।

प्रतिलिपि:-अनुभाग अधिकारी, अनुभाग-4 स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

स्वघोषणा-पत्र

मैं,------(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र
 -----निवासी-----थाना-----जनपद-----वर्तमान में
 (जनपद/इकाई का नाम)-----नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) “मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।”

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण -----
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई-----में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:----- को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०----- धारा-----थाना -----
 जनपद-----में लम्बित है, जिसमें दिनांक:-----को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी-----द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में-----स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर